UPMT010046392026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
उपस्थित–विकास कुमार–I, उच्चतर न्यायिक सेवा
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2018/2026
आशू त्यागी प्रति उत्तर प्रदेश राज्य

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या–128/2026, धारा–310(2),317(3),127(2), 118(1) भारतीय न्याय संहिता, थाना रिफाइनरी, जिला मथुरा के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्तगण **आशू त्यागी, सुनील त्यागी व अभय त्यागी** की ओर से स्वयं को जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी को अपनी गाड़ी में जबरदस्ती नीचे डालकर, उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उसको चोट पहुंचाना, उसका मोबाइल आईफोन 15 व स्मार्ट वॉच को छीनना/लूटना, वादी के एकाउण्ट से एक लाख रूपये अपने खाते में ट्रांसफर करना तथा गिरफ्तारी के समय अभियुक्तगण से लूटा गया मोबाइल, एक स्मार्ट वॉच एवं घटना में प्रयुक्त गाड़ी व चाकू बरामद होना आदि आक्षेपित है।

3– जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4– आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र द्वारा मनोज कुमार पर बल देते हुए मुख्यतः कथन/तर्क किए गए हैं कि वे पूर्णतः निर्दोष हैं, उन्हें रंजिशन झूंठा फंसाया गया है। यह उनका प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अतिरिक्त इस न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय में न प्रस्तुत किया, न विचाराधीन है और न ही खारिज हुआ है। वादी द्वारा तहरीर में दिखाये गये तथाकथित वाहन हुण्डई ओरा से आवेदक/अभियुक्तगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। आवेदक/अभियुक्त सुनील त्यागी द्वारा अपने मोबाइल फोन पर कोई ग्राईन्डर एप डाउनलोड नहीं किया हुआ है। वादी द्वारा ग्राईन्डर एप के माध्यम से सुनील त्यागी नाम वाले व्यक्ति से संपर्क होने वाली कहानी स्वतः नितांत झूंठी व फर्जी साबित होती है। वादी द्वारा तहरीर में अंकित किया गया है कि वह मथुरा स्टेशन पर अपने साथियों, जोकि कानपुर से मथुरा के लिए आ रहे थे, का इंतजार कर रहा था और वहीं दूसरी ओर वह अपने बिना साथियों के ही अभियुक्तगण सुनील त्यागी व आशू त्यागी के साथ तथाकथित गाड़ी में हाईवे की ओर चला गया, जबकि उसका स्वयं का कथन है कि वह मथुरा घूमने आया था, तब हाईवे की ओर अभियुक्तगण सुनील त्यागी व आशू त्यागी के साथ जाने वाली बात स्वतः ही फर्जी साबित हो जाती है। वादी की तहरीर में तीन अन्य साथी अभय, मोनू व प्रशान्त का गाड़ी में आकर बैठ जाने का कथन है, उक्त व्यक्तियों के नाम किस प्रकार वादी जानता था, ऐसा तहरीर में अंकित नहीं है। वादी द्वारा तहरीर में किसी भी व्यक्ति की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं दिखायी गयी है, जबकि तहरीर के अनुसार वह सभी तथाकथित अभियुक्तगण के नाम पूर्व से ही जानता था। आवेदक/अभियुक्तगण में से किसी ने अपने एकाउण्ट में वादी के तथाकथित एक लाख रूपये ट्रांसफर नहीं किये हैं, न ही उक्त संबंध में कोई साक्षी है, जो आवेदक/अभियुक्तगण की उक्त मुकदमें में फर्जी संलिप्तता के तथ्य को साबित करता है। उनसे मुकदमा से संबंधित कोई बरामदगी नहीं है। तथाकथित घटना का कोई भी स्वतंत्र व निष्पक्ष साक्षी नहीं है। वादी की गर्दन के पास किसी प्रकार का

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.06.03 12:35:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कोई चोट का निशान नहीं है। वास्तव में आवेदक/अभियुक्तगण गोवर्धन परिक्रमा देने गये थे, वहां उनका मथुरा स्टेशन से बाहर निकलते समय अत्यधिक भीड़ की धक्का मुक्की में वादी व उसके साथियों द्वारा सुनील त्यागी में टक्कर मार देने से सुनील त्यागी गिर जाने के कारण आवेदक/अभियुक्तगण की वादी व उसके अज्ञात साथियों से कहासुनी व गाली–गलौज हो गयी थी, इसी रंजिश के चलते वादी ने एक नितान्त झूंठी व मनगढ़न्त कहानी गढ़कर आवेदक/अभियुक्तगण को नामजद करते हुए उक्त मुकदमें में झूंठा फंसाया है। वे उक्त मामले में दिनांक 21.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। वे जमानत का दुरूपयोग नहीं करेंगे। अतः उन्हें दौरान मुकदमा जमानत प्रदान की जाय।

प्रतिवाद में अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क दिये गये हैं कि आवेदक /अभियुक्तगण द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर, वादी को गाड़ी में बंधक बनाकर, चाकू दिखाकर व मारपीट कर उससे जबरदस्ती उसका मोबाइल फोन व स्मार्ट वॉच लूटी गयी व मोबाइल से उसके खाते से एक लाख रूपये सह अभियुक्त के खाते में ट्रांसफर किये गये हैं। अभियुक्तगण से घटना में प्रयुक्त गाड़ी, चाकू व लूटा गया मोबाइल फोन व स्मार्ट वॉच बरामद हुई है। आवेदक/अभियुक्तगण को झूंठा फंसाये जाने का कोई कारण नहीं है। आवेदक/अभियुक्तगण जमानत के पात्र नहीं हैं।

5– केस डायरी में उपलब्ध वादी यश के चिकित्सीय परीक्षण में उसके 10 चोटें साधारण प्रकृति की दर्शायी गयी हैं। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्तगण व सह अभियुक्तगण से घटना में प्रयुक्त गाड़ी, चाकू व लूटा गया मोबाइल फोन व स्मार्ट वॉच की बरामदगी बतायी गयी है।

आवेदक/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्टतः नामित हैं। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से कथित रूप से स्वयं को झूठा फँसाए जाने का कोई यथोचित कारण दर्शित नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्तगण को जमानत प्रदान किए जाने का कोई न्यायोचित आधार प्रतीत नहीं होता है।

निष्कर्षतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है, **निरस्त** किया जाता है।

कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा को ई–मेल districtjailmathura@gmail.com पर आवेदक/अभियुक्त के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दिनांक–03.06.2026

(विकास कुमार–I)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
I.D.No.U.P. 1910

खेम सिंह, पी०एस०